WESTERN UP CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

FEBRUARY 2021

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-2661685

E-mail: wupcc@rediffmail.com **Website:** www.wupcc.org

INDEX

- UP to get its first Sports University in Meerut
- Highlights of Union Budget 2021-2022
- व्यक्तिगत करदाताओं के लिए 10 ख़ास बाते
- बजट से उद्योग जगत संतुष्ट नहीं
- टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा तो भरे ई-इनवॉइस
- एमएसएमई को आसानी से मिलेगा कस्टम क्लीयरेंस
- जीएसटी: नए नियम छोटे कारोबारियों पर लागू नहीं
- मार्च तक हर माह की 24 तारीख तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे व्यापारी
- एमएसएमई को भुगतान 45 दिन के भीतर होगा
- एमएसएमई को नहीं लेनी होगी भूगर्भ जल की एनओसी
- निर्यातकों के लेजर खाते में आएगा शुल्क रिफंड का पैसा
- कम होंगे विभाग, तेजी से होंगे काम, यूपी में होंगे बड़े प्रशासनिक सुधार, विभागों की संख्या 95 से 54 करने की तैयारी
- गैरकानूनी तरीके से खरीदी ज़मीन नियमित कराने का कानून लागू
- श्रम सुधार : एक ही प्रतिष्ठान का अब दो बार निरिक्षण नहीं
- 250 मेगावाट के तीन डाटा सेंटर पार्क व 10 डाटा सेंटर इकाइयां स्थापित होंगी
- बिजली योजनाओं की जानकारी अब एसएमएस से
- मेरठ समेत बड़े शहरों में नक्शा पास कराना होगा महंगा
- हापुड़ समेत चार शहरों में बनेंगे बड़े वेयर हाउस
- 'एक्शन प्लान' से सुधरेगी प्रदूषित शहरों की सेहत
- ग्रेनो में लॉजिस्टिक हब को मंजूरी मिली
- रेलवे ने माल बुकिंग पोर्टल शुरू किया
- नौचंदी मेले का खर्च सरकार उठाएगी
- **हमारे राजनीतिक कर्तव्य** 'श्री गोपाल अग्रवाल जी की कलम से'

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi

- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta

- **Sr. Vice President**
  Shri Shashank Jain

- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar

- **Secretary / Editor**
  Ms. Sarita Agarwal

- **Patrika Committee**

- **Chairman**
  Shri Rahul Das

- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain

- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri G.C. Sharma
  Shri Atul Bhushan Gupta

- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

WUPCCI

UP TO GET IT's FIRST SPORTS UNIVERSITY IN MEERUT

Lucknow, January 26 (IANS) uttar Pradesh will soon have its first Sports University in Meerut after the State Cabinet approved the State Sports University Bill 2021 draft. The University will aim at providing best infrastructure practices and services to athletes.

A government spokesperson said the University will help athletes in getting training, thereby making them ready for national and international level competitions.

The Sports University will be built at an approximate cost of Rs. 700 Crores and will come up in the Salawa village in Sardhana tehsil of Meerut District. Yhe cost of the Project will be brone by the State Government.

The spokesperson said there was a proposal to have the draft cleared by both the houses by the State Legislature during the Budget Session.

It will be a teaching and affiliating university which will award degrees on the basis of theory and practicals.

The university will have graduate, postgraduate, diploma, certificate, MPhil and PhD courses under physical education, health and applied sports sciences, sports management and technology, sports coaching, sports journalism, mass media technology, adventure sports and youth affairs, the spokesman said.

WUPCCI

Highlights of Union Budget 2021-22

General

1. First digital Budget in the history of India
2. Vehicle Scrapping Policy. Vehicle Fitness Test after 20 years in case of Personal vehicle and 15 years in case of commercial vehicles
3. 64,180 crores allocated for New Health Schemes

4. 35,000 crores allocated for Covid Vaccine
5. 7 Mega Textile Investment parks will be launched in 3 years
6. 5.54 lakh crore provided for Capital Expenditure
7. 1.18 lakh crore for Ministry of Roads
8. 1.10 lakh crore allocated to Railways
9. Proposal to amend Insurance Act.Proposal to increase FDI from 49% to74 %.
10. Deposit Insurance cover (DICGC Act 1961 to be amended). Easy and time bound access of deposits to help depositors of stress banks.
11. Proposal to revive definition of 'Small Companies' under Companies Act 2013. Capital less than 2 Cr. and Turnover Less than 20 Cr.
12. Disinvestment: IPO of LIC, Announced Disinvestment of Companies will be completed in FY 2021-22

व्यक्तिगत करदाताओं के लिए 10 ख़ास बाते

वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि, बजट में कई ऐसे कदम उठाने का एलान किया गया है जिससे करदाताओं को आयकर रिटर्न भरने से लेकर अग्रिम कर भुगतान में राहत मिलेगी। हम आपको बजट में हुई घोषणाओं का करदाताओं पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत कराते है।

1. इनको रिटर्न भरने से छूट

75 साल से ज्यादा उम्र के लोगो को आयकर रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। इस नियम के दायरे में 75 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ वही लोग आएंगे, जिनकी आय का आधार पेंशन या एफडी समेत अन्य माध्यमों से मिलने वाला ब्याज है। ऐसे लोगो को सिर्फ रिटर्न नहीं भरना होगा।

WUDCCI

2. कर पुनर्मूल्यांकन में राहत

छह साल और गंभीर मामलो में 10 साल बाद भी केस खोले जा सकते थे। समय घटाकर तीन साल कर दिया गया है। एक साल में 50 लाख से ज्यादा इनकम छिपाने की बात होगी, तभी 10 साल तक केस खोले जा सकेंगे।

3. डाटा जुटाने से भी राहत

नौकरीपेशा लोगो को अब तक फॉर्म 16ए के अलावा एफडी समेत अन्य माध्यमों में निवेश से मिलने वाले ब्याज की डिटेल अलग से देनी पड़ती थी। अब फॉर्म 16ए में जानकारी पहले से होगी, अलग से डाटा नहीं जुटाना पड़ेगा।

4. लाभांश के हिसाब से छूट

टीडीएस के वक़्त लाभांश से होने वाली आय का हिसाब नहीं करना होगा। टीडीएस तभी कटेगा जब लाभांश की घोषणा हो जाएगी या कंपनी दे देगी। इससे करदाता को ब्याज पर टैक्स देने से छुटकारा मिलेगा।

5. एनआरआई को राहत

एनआरआई को राहत दी गयी है। उन्हें दोहरे कराधन से जूझना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने उन्हें राहत देने का एलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनआरआई को टैक्स भरने में काफी दिक्कत होती थी।

6. स्टार्टअप में निवेश पर छूट

स्टार्टअप में निवेश करने वाले निवेशकों को एक साल के लिए पूंजीगत लाभ से छूट दी गई है। इससे स्टार्टअप इकाइयों तथा नवोन्मेषी में लगे व्यक्तियों को फायदा होगा।

7. फेसलेस समिति बनेगी

एक फसलेस विवाद समाधान समिति गठित होगी। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। 50 लाख रूपये तक की टैक्स योग्य इनकम वाले और 10 लाख रूपये तक की विवादित आय वाले लोग इस समिति के पास जा सकते है। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी।

8. यूलिप पर कैपिटल गेन

एक फरवरी, 2021 से यूलिप में सालाना 2.5 लाख रूपये से ज्यादा प्रीमियम है तो उससे हुई आमद को पूंजीगत लाभ माना जाएगा और कर लगेगा। मृत्यु हो जाने पर नहीं लिया जाएगा।

9. तीन महीने में रिटर्न

टीडीएस के भुगतान के वक्त लाभांश से होने वाली आय का हिसाब नहीं करना होगा। यह तभी कटेगा जब लाभांश की घोषणा हो जाएगी या कंपनी दे देगी। ब्याज पर टैक्स देने से छुटकारा मिलेगा।

10. पीएफ का नियम बदला

पीएफ में नियोक्ता और कर्मचारी, दोनों पैसे डालते है। नियम कहता है कि नियोक्ता आपके लिए जितना भी पैसा डाले, उससे मिलने वाला ब्याज अब भी कर मुक्त ही रहेगा।

बजट से उद्योग जगत संतुष्ट नहीं

कोरोना महामारी से उद्योग और व्यापार अत्याधिक प्रभावित हुआ है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर पुनः लाने के लिए ऐसे बजट की अपेक्षा थी, जिससे उद्योग सुगमता से चले और अधिक से अधिक रोजगार सृजित हो, लेकिन उद्योग जगत इस बजट से संतुष्ट नहीं है। एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट में कोई बड़ा एलान नहीं किया गया। बजट में कुछ प्रावधान से महंगाई को बढ़ावा मिलेगा।

डॉ राम कुमार गुप्ता
(अध्यक्ष- वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मेरठ)

टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा तो भरे ई-इनवॉइस

नए साल में जीएसटी के कई नियमो में बदलाव किया गया है। जिन इकाईयों का टर्नओवर 100 करोड़ रूपये से ज्यादा है, उन्हें अब ई-इनवॉइस जारी करने होंगे।

यह नियम उन सभी इकाइयों पर लागू होगा, जिनका जीएसटी लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2017 से किसी भी साल में 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर रहा है। इससे पहले यह लिमिट 500 करोड़ रूपये के टर्नओवर पर थी।

1 जनवरी 2021 से पांच करोड़ रूपये तक के टर्नओवर वालो के लिए तिमाही रिटर्न अपलोड करने की सुविधा शुरू हो गई है। इस व्यवस्था में कर मासिक ही जमा करना होगा। आईटीसी हासिल करने की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। नियम 36 (4) में बदलाव के बाद अब अप्रदर्शित बिलो पर महज पांच प्रतिशत आईटीसी का ही फायदा उठा सकेंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का फायदा लेने में भी बंदिशे है।

अब ई-वे बिल के नियमो में भी बदलाव किया गया है। इसमें शर्तो के साथ अब ई-वे बिल की वैधता 200 किलोमीटर तक के लिए एक दिन ही होगी। वहीं, ई-वे बिल को लेकर ट्रांसपोर्टरों के विरोध में कहना है कि इन दिनों में एक दिन में 200 किलोमीटर चलना कई बार संभव नहीं हो पाता है, ऐसे में परेशानी आएगी।

क्या है ई-इनवॉइस

ई-इनवॉइस एक प्रणाली है। जीएसटी प्रणाली के बी 2 बी (व्यापार से व्यवसाय) चालान को मासिक रिटर्न दाखिल करने में आसानी के लिए स्वचालित रूप से रिपोर्ट करने के लिए है।

एमएसएमई को आसानी से मिलेगा कस्टम क्लीयरेंस

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एमएसएमई को आसान कस्टम क्लीयरेंस दिलाने के लिए उदार आर्थिक संचालक पैकेज व्यवस्था शुरू की है। सालाना 10 कस्टम क्लीयरेंस दस्तावेज या दो साल का साफ़-

NUPCCI

सुथरा अनुपालन रिकॉर्ड रखने वाली एमएसएमई को ही योजना का लाभ मिलेगा। दस्तावेज जमा करने के 15 दिन के भीतर सीबीआईसी से अनुमति मिलेगी।

जीएसटी: नए नियम छोटे कारोबारियों पर लागू नहीं

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि जीएसटी देनदारी का कम से कम एक प्रतिशत नकद भुगतान करने के नए सरकारी नियम से छोटे कारोबारी और डीलर प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि यह नया नियम छह करोड़ रूपये अथवा इससे अधिक के कारोबार पर ही लागू होगा।

वस्तु एवं सेवाकर से बचने के लिए नकली चालान के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के मामले सामने आने के बाद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने नियमो में संशोधन करते हुए 50 लाख रूपये या इससे अधिक मासिक कारोबार वाले व्यवसायों के लिए कम से कम एक प्रतिशत जीएसटी देनदारी का नकद भुगतान अनिवार्य कर दिया था। यह नियम कुल 1.2 करोड़ जीएसटी करदाताओं में से सिर्फ 45 हज़ार करदाताओं पर ही लागू होते है और ईमानदार डीलरों और व्यवसायों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

मार्च तक हर माह की 24 तारीख तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे व्यापारी

प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को बड़ी सहूलियत देते हुए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख की समय सीमा को बढ़ा दिया है। 5 करोड़ तक के सालाना टर्न ओवर वाले व्यापारी अब हर माह की 24 तारीख तक जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। यह सुविधा 31 मार्च तक के लिए दी गई है। पहले 20 तारीख तक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य था।

एमएसएमई को भुगतान 45 दिन के भीतर होगा

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कंपनियों द्वारा एमएसएमई को उनके बकाये का भुगतान 45 दिन के भीतर करना होगा। गडकरी ने कहा कि सरकार इसके लिए जल्द ही एक कानून लाने जा रही है। इसके तहत एमएसएमई को तय सीमा में भुगतान करना अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को इससे बहुत बड़ी राहत मिल सकती है।

एमएसएमई को नहीं लेनी होगी भूगर्भ जल की एनओसी

भूगर्भ जल निकासी पर लगी रोक से मुश्किल झेल रहे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन को उत्तर प्रदेश में भी लागू करते हुए भूगर्भ जल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) से छूट दी जाएगी। यह फैसला राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण की दूसरी बैठक में लिया गया। लोकभवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव आरके तिवारी ने की।

निर्यातकों के लेजर खाते में आएगा शुल्क रिफंड का पैसा

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई रोडटेप योजना के तहत रिफंड का पैसा निर्यातकों के लेजर खाते में भेजा जायेगा। वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने बताया कि योजना के तहत रिफंड की दर कुछ सप्ताह में निर्धारित हो जायेगी।

वित्त सचिव ने कहा, पूर्व केंद्रीय सचिव जीके पिल्लई की अगुवाई समिति ने अपनी रिपोर्ट का एक हिस्सा जमा किया है। समिति निर्यात उत्पादों पर शुल्क व कर छूट (रोड़टेप) योजना के तहत मिलने वाले रिफंड की दर कुछ सप्ताह में तय कर देगी। हालांकि, यह दरे 1 जनवरी 2021 से ही लागू मानी जाएंगी और निर्यातकों

को इसी तिथि से रिफंड मिलेगा। इसका इस्तेमाल आयातित उत्पादों पर सीमा शुल्क चुकाने में किया जा सकेगा।

कम होंगे विभाग, तेजी से होंगे काम
यूपी में होंगे बड़े प्रशासनिक सुधार, विभागों की संख्या 95 से 54 करने की तैयारी

यूपी सरकार प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। मौजूदा 95 विभागों का पुनर्गठन कर 54 विभागों में एकीकृत करने की सिफारिश पर विचार शुरू हो गया है। संबंधित विभागों से शीर्ष प्राथमिकता पर 20 जनवरी तक सुझाव मांगा गया था। विभागों के पुनर्गठन से न सिर्फ उनकी संख्या कम होगी, बल्कि काम में तेजी भी आएगी।

योगी सरकार ने विभागों के पुनर्गठन के लिए 3 जनवरी 2018 को तत्कालीन अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इसने 95 विभागों को 57 तक करने का सुझाव दिया था। इनकी सिफारिश पर विचार विमर्श के बाद विभागो की संख्या 57 के बजाए 54 तक सिमित करने पर सहमति बनी। इस पर अमल से पहले ही पिछले वर्ष रेरा के चेयरमैन व पूर्व मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक नई कमेटी बना दी। इसे कर्मचारियों की संख्या को आवश्यकता घटाने-बढ़ाने, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार पर सुझाव देना था। समिति ने भी विभागों के पुनर्गठन संबंधी संजय अग्रवाल कमेटी की सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लेने की सिफारिश की है।

साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए है। शासन स्तर से समिति के सुझावों व संस्तुतियों पर अपर मुख्य सचिवों, व सचिवों की राय मांगी गई है। कौन विभाग किन विभागों, प्रभागों व संस्थाओं के एकीकरण, समायोजन या विलय सम्बन्धी कार्यवाही करेगा, इसकी जानकारी विभागों को दे दी गई है।

WUPCCI

इसलिए पुनर्गठन की पड़ी जरुरत

- कई विभागों में काम कम, कर्मचारी ज्यादा है। कहीं-कहीं कर्मचारियों का अभाव है। यह विसंगति दूर हो सकेगी।
- एक ही तरह का काम अलग-अलग विभागों के माध्यम से हो रहा है। इससे विसंगतियां होती है।
- पुनर्गठन से प्रशासनिक व आर्थिक प्रबंधन भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कई स्तर पर खर्चो में कमी आने की उम्मीद है।
- अप्रासंगिक कार्यो से जुड़े पदों को समाप्त करने और नई आवश्यकताओं के लिए नए पद सृजित किये जा सकेंगे।
- आम लोगो को एक ही तरह के काम के लिए कई जगह की दौड़धूप से राहत मिलेगी। तेजी से काम हो सकेगा।

गैरकानूनी तरीके से खरीदी ज़मीन नियमित कराने का कानून लागू फर्म, कंपनी, न्यास, समिति या अन्य शैक्षिक संस्थानों और उद्योगों को बड़ी राहत

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी राजस्व सहिंता (संशोधन) अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। विधायी विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। अध्यादेश प्रभावी होने के साथ ही सरकार ने बिना अनुमति तय सीमा से अधिक खरीदी गई जमीन विनियमित कराने का अर्थदंड 50 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने और इसका लाभ लेने संबंधी प्रक्रिया तय कर आदेश जारी कर दिया है। सरकार लोकहित से जुडी परियोजनाओं के लिए 10 फीसदी अर्थदंड भी साफ़ कर सकती है।

दरअसल, राज्य सरकार ने उद्योगों व सरकार की निर्माण परियोजनाओं के लिए जमीन की व्यवस्था में आने वाली अड़चन दूर करने के लिए पिछले दिनों राजस्व संहिता में संशोधन का फैसला किया था। यूपी राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया था। कानून में किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी अन्य शैक्षिक या पूर्त संस्था ने अगर राज्य सरकार की अनुमति के बिना जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 के खत्म होने से पहले या बाद में 5.0586 हेक्टेयर से अधिक भूमि की खरीदी की है तो जुर्माना लगाकर नियमित करने की व्यवस्था है।

भूमि विनियमित कराने के प्रक्रिया

- शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग को आवेदन देना होगा।
- संबंधित व्यक्तिमानक के अनुसार भूमि से संबंधित रिपोर्ट डीएम से प्राप्त करेगा।
- डीएम भूमि के विनियमितीकरण के लिए जुर्माने की राशि का निर्धारण कर प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग को भेजेगा।
- प्रशासकीय विभाग बिना पूर्व अनुमति खरीदी गई भूमि के विनियमित करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट अनुमोदन लेगा।

ये अड़चने भी होगी दूर

औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कई क्षेत्रो में ग्राम पंचायतों की सरकारी भूमि भी आती है। ये जमीन यदि प्राधिकरण के किसी विकास योजना में आती है तो उसका विकास बाधित होता है। सरकार ने स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, छावनी क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम, नोएडा विप्रा., ग्रेटर नोएडा विप्रा. व यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण या अन्य औद्योगिक विकास क्षेत्र के तहत घोषित औद्योगिक नगरी को शामिल करने का फैसला किया है। प्राधिकरण क्षेत्र में ग्राम सभा की सरकारी जमीन का प्रबंधन प्राधिकरणों को मिल सकेगा। इकाइयों की स्थापना में आने वाली अड़चन दूर होगी।

श्रम सुधार : एक ही प्रतिष्ठान का अब दो बार निरिक्षण नहीं

उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय निरिक्षण प्रणाली के दायरे में 11 कानूनों को लाने का फैसला किया है। इसके अलावा प्रणाली की कार्यविधि भी तय कर दी है। इसके तहत एक निरीक्षक अब एक ही प्रतिष्ठान का दो बार निरिक्षण नहीं कर सकेगा। निरिक्षण की रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन होने से उद्यमियों व कारोबारियों को काफी सहूलियत होने की उम्मीद है। इसे महत्वपूर्ण श्रम सुधारो के रूप में लिया जा रहा है।

गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही श्रम, फैक्ट्रीज, बॉयलर, पर्यावरण और विधिक माप विज्ञान विभाग को शामिल करते हुए केंद्रीय निरिक्षण प्रणाली लागू करने का फैसला किया था। अब इस केंद्रीयकृत प्रणाली की कार्य योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत 11 कानूनों को चिन्हित करते हुए निरिक्षण की पुरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से तय कर दी गई है। इससे निरिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। वहीँ, कारखाना व प्रतिष्ठान मालिकों को श्रम विभाग की लालफीताशाही से राहत मिलने की सम्भावना है।

अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने श्रम आयुक्त कानपुर को केंद्रीय निरिक्षण प्रणाली का क्रियान्वयन तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है। ये निर्देश समस्त मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों, निदेशक कारखाना, निदेशक बॉयलर, समस्त अपर, उप व सहायक निदेशक कारखाना को भेजे गए है।

ये है 11 कानून जो आएंगे दायरे में

समान पारिश्रमिक अधिनियम-1976, न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948, उप्र दुकान व वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम-1962, बोनस भुगतान अधिनियम-1965, वेतन भुगतान अधिनियम-1936, आनुतोषिक भुगतान अधिनियम-1972, संविदा श्रम (विनियम व उत्पादन) अधिनियम-1970, कारखाना अधिनियम-1948, भारतीय बॉयलर अधिनियम-1923, मातृत्व हितलाभ अधिनियम-1961, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण अधिनियम-1965

यह होगी प्रक्रिया

◦ निरिक्षण के लिए प्रतिष्ठानों का चयन रेंडम आधार पर होगा।

◦ निरिक्षण श्रम विभाग के पोर्टल पर अपलोड चेक लिस्ट के अनुसार होंगे।

◦ अधिस्ठानो व निरीक्षकों का चयन केंद्रीयकृत रूप से केंद्रीय निरक्षण प्रणाली से इस तरह किया जाएगा कि कोई भी निरीक्षक किसी भी प्रतिष्ठान का दो बार निरिक्षण न कर सके। निरिक्षण टिप्पणी इस तरह अपलोड की जाएगी कि प्रतिष्ठान व विभाग उसे देख सके।

◦ निरिक्षण से पहले प्रतिष्ठानों को इसकी सूचना पोर्टल के जरिये दी जाएगी।

◦ केंद्रीय निरिक्षण प्रणाली के पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली रिपोर्ट को 3 साल तक देखने और डाउनलोड करने की व्यवस्था होगी।

250 मेगावाट के तीन डाटा सेंटर पार्क व 10 डाटा सेंटर इकाइयां स्थापित होंगी

प्रदेश में 250 मेगावाट क्षमता के तीन डाटा सेंटर पार्क और 10 डाटा सेंटर इकाइयां स्थापित की जाएंगी। डाटा सेंटर पार्क और इकाइयों में 20 हज़ार करोड़ का निवेश आएगा, इससे 4 हज़ार लोगो को प्रत्यक्ष और 10 से 20 हजार लोगो को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति-2021 को मंजूरी दे दी है।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में देश का अधिकांश डाटा देश के बाहर संरक्षित किया जा रहा है। डाटा सेंटर पार्क और डाटा सेंटर इकाइयों की स्थापना के लिए प्रदेश की डाटा सेंटर नीति नहीं थी। प्रदेश ने डाटा सेंटर नीति लागू करने का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि डाटा नीति लागू होने के बाद प्रदेश में 20 हजार करोड़ के निवेश से 250 मेगावाट क्षमता के तीन डाटा सेंटर पार्क और 10 डाटा सेंटर इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

WUPSC

निवेशकों को ऑनलाइन इंसेंटिव भुगतान का फैसला

प्रदेश सरकार ने औद्योगिक नीति-2003 व 2012 के तहत निवेशकों के वित्तीय लाभ की मंजूरी ऑनलाइन देने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए नियमावली में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2003 व अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के तहत शासन द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति की तुलना में जरुरी राशि आयुक्त एवं निदेशक कानपुर, संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग लखनऊ मंडल की ओर से आहरित कर पिकप/यूपीएफसी को उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद पिकप व यूपीएफसी पात्र इकाइयों को ब्याजमुक्त ऋण का वितरण करते है। पूर्व से क्रियान्वित हो रही इन नीतियों के अंतगर्त अब पात्र लाभार्थी इकाइयों को ब्याजमुक्त ऋण की ऑनलाइन कार्यवाही होगी। इससे इंसेंटिव वितरण में पारदर्शिता आएगी।

बिजली योजनाओं की जानकारी अब एसएमएस से

पश्चिमांचल के 14 जिलों में बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली कट के अलावा अन्य योजनाओं की जानकारी भी एसएमएस के जरिये दी जाएगी।

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर ही बिल की धनराशि समेत अन्य जानकारिया आ जाती है। इसी तरह जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर बिजली विभाग के पास है, उन्हें बिजली शटडाउन व अन्य जानकारियां एसएमएस के जरिये भेजी जा रही है। तैयारी है कि नए वित्तीय वर्ष से उपभोक्ताओं को बिजली बिल एसएमएस से मिले। एसएमएस में बिल की रकम एवं उसको जमा करने की तिथि उल्लेख होगा।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने उपभोक्ताओं को एसएमएस सेवा से लाभान्वित करने के लिए काफी पहले से ही उनके मोबाइल नंबर को डेटाबेस पर रजिस्टर करने का सिलसिला शुरू कर दिया था। मीटर रीडरों के जरिए मोबाइल नंबर जुटाए जा रहे है। दस्तक अभियान में जो

भी कर्मचारी उपभोक्ताओं के घर जा रहे है, वह उनके मोबाइल नंबर और पता को वेरीफाई करते हुए अपडेट कर रहे है।

शहर में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या डेढ़ लाख है। इसके अलावा करीब 50 हज़ार अन्य उपभोक्ताओं के नंबर भी डाटाबेस में शामिल है। बिजली की धनराशि और जमा करने की तिथि, कनेक्शन काटने की तिथि आदि की जानकारी एसएमएस से मिलेगी। जो उपभोक्ता दय तिथि तक बिजली बिल नहीं चुकाएंगे उनके मोबाइल पर दोबारा बिजली काटने की नोटिस का एसएमएस भी पहुंचेगा। इस एसएमएस के बाद बकायेदार का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा।

मेरठ समेत बड़े शहरों में नक्शा पास कराना होगा महंगा

बड़े विकास प्राधिकरणों की सीमा में नक्शा पास कराना अब महंगा हो जाएगा। सरकार ने लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, कानपुर, आगरा, गाज़ियाबाद व गोरखपुर समेत सभी बड़े शहरों में नक्शा पास कराने पर लगने वाले विकास शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला किया है। वहीं, गाज़ियाबाद के लोनी, मोदीनगर, मुरादनगर जैसे कुल 12 छोटे शहरों के विकास शुल्क की दर को घटाया भी गया है। आवास एवं नियोजन विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विकास शुल्क को 1400 से बढ़ाकर 2040 और गाज़ियाबाद में 2500 से बढ़ाकर 3208 रूपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है।

प्रति वर्ग मीटर बढ़ोत्तरी

शहर	पुरानी दर	नई दर
मेरठ	1000 रूपये	1200 रूपये
बागपत-बड़ौत-खेकड़ा	700 रूपये	850 रूपये
मुज़फ्फरनगर	400 रूपये	850 रूपये

सहारनपुर	700 रूपये	850 रूपये
शामली	400 रूपये	850 रूपये
खतौली	400 रूपये	850 रूपये

हापुड़ समेत चार शहरों में बनेंगे बड़े वेयर हाउस

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बाजार को देखते हुए अब यहां वेयरहाउस व लॉजिस्टिक पार्क बनाने की मुहीम तेज हो गई है। छह कंपनियों ने हापुड़, लखनऊ, उन्नाव, बुलंदशहर में इस सेक्टर में निवेश की तैयारी कर ली है। इसके लिए जमीन का इंतजाम भी हो गया है। लखनऊ में तो इसकी शुरुआत नानक लॉजिस्टिक कंपनी 85 करोड़ रूपये के निवेश से करने जा रही है। यह वेयरहाउस 2021 में बनकर शुरू हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकार ने वेयरहाउस व लॉजिस्टिक पार्क को उद्योग का दर्जा दिया है। इस कारण अब कई कंपनियां निवेश को तैयार है।

61.14 करोड़ के निवेश से उन्नाव के सोहरामऊ में वेयरहाउस बनाने का प्रस्ताव स्पेस कंपनी ने दिया है। वीआरवाई लॉजिस्टिक ने 79.65 करोड़ रूपये की लागत से बुलंदशहर के सिकंदराबाद में वेयरहाउस बनाने की तैयारी की है। डिलाइट कंपनी ने हापुड़ में 64.90 करोड़ रूपये की लागत से वेयरहाउस बनाने का प्रस्ताव दिया है। लखनऊ में सरोजनीनगर कानपुर रोड पर हसनगंज में रोबस्ट रेजीडेंसी ने 32.48 करोड़ रूपये की लागत से इसी तरह का प्रस्ताव दिया है जबकि लॉजिस्टिक पार्क के लिए उन्नाव के रसूलपुर में संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग को दिया है।

आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में वेयरहाउस व लॉजिस्टिक पार्क सेक्टर में भारी निवेश होगा। उदयमियों को अपना माल स्टोर करने के काफी विकल्प मिलेंगे।

WUPCCI

फ्लिपकार्ट के उत्पाद भी होंगे

लखनऊ में वेयरहाउस बनाने वाली नानक कंपनी का फ्लिपकार्ट कंपनी से व्यापारिक समझौता है। इससे फ्लिपकार्ट को अपने उत्पाद लोगो तक ओर जल्दी पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से करीब प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 2000 लोगो को रोजगार मिलेगा।

'एक्शन प्लान' से सुधरेगी प्रदूषित शहरों की सेहत

योगी सरकार ने अत्यधिक प्रदूषित शहरों की सेहत सुधारने के लिए विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया है। इसमें शहरों के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक उपाय सुझाए गए है। प्रदूषण का जैसा स्तर होगा उसी के अनुसार कदम उठाए जाएंगे। पर्यावरण सुधारने के लिए कई अहम फैसले भी लिए गए है। नदियों किसीहत ठीक रखने व प्रदूषण नियंत्रण पर सतत निगरानी के लिए भी कार्ययोजना तैयार की गई है। वर्ष 2021 में इसके सुखद परिणाम दिखाई देंगे।

वायु प्रदुषण की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर के बाद अब यूपी के अति प्रदूषित दूसरे शहरों में भी 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' लागू किया गया है। इसके तहत प्रदूषण का स्तर जितना अधिक होगा, कार्यवाही उतनी सख्त होगी। प्रदूषण के लिहाज से शहरों को तीन श्रेणियों 'सीवियर प्लस', 'सीवियर', व 'वेरी पुअर' में रखा जाएगा। प्रदूषण का स्तर यदि 'सीवियर प्लस' श्रेणी में आ जाएगा तो शहरों बड़े निर्माण कार्य रोक दिए जाएंगे। हालांकि मजदूरों को उनका पैसा मिलता रहेगा। निर्माण सामग्री लाने वाले वाहन बंद कर दिए जाएंगे। सभी प्रकार के खनन से जुड़े कार्य भी बंद हो जाएंगे। यदि निर्माण सामग्री ढककर नहीं रखी गई तो जिला प्रशासन उसे सील कर देगा। इसी तरह 'सीवियर' श्रेणी वाले शहरों की नगरीय सीमा में स्थित ईंट-भट्टे बंद कर दिए जाएंगे। हॉट-मिक्स प्लांट व स्टोन क्रशर नहीं चलेंगे। सड़को की मशीनो से सफाई बढ़ाई जाएगी।

ग्रेनो में लॉजिस्टिक हब को मंजूरी मिली

केंद्र सरकार ने ग्रेटर नोएडा में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक और परिवहन केंद्र (एमएमटीएच) के गठन को मंजूरी दे दी। देश में माल ढुलाई को ओर सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जुड़े औद्योगिक शहरों के विकास को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि करीब 7725 करोड़ की लागत से फ्रेट कॉरिडोर के औद्योगिक शहरों का विकास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इससे तीन लाख लोगो को रोजगार मिलेगा। आर्थिक मामलो की कैबिनेट कमेटी ने फैसला लिया है कि ग्रेटर नोएडा में 3883 करोड़ रूपये की लागत से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाएगा। ये लॉजिस्टिक हब स्पेशल पर्पस व्हीकल यानि एसपीवी के जरिए बनेगा, जिसमे केंद्र और राज्य दोनों सरकार शामिल होंगी।

जावड़ेकर के मुताबिक, आंध्र प्रदेश के कृष्णपट्नम बंदरगाह में 2139 करोड़ की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। वहीं, कर्नाटक के तुमकुर में 1701 करोड़ की लागत से चेन्नई-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास होगा। सरकार के मुताबिक, इस व्यवस्था के जरिए सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन और मेक इन इंडिया मुहिम को भी सहारा मिलेगा। आकलन है कि कृष्णपट्नम बंदरगाह में पहले चरण में करीब 98 हज़ार लोगो को नौकरी मिलेगी, जिसमे 58 हज़ार लोग सीधे साइट पर काम कर पाएंगे। वहीं, तुमकुर में 88500 लोगो को रोजगार मिल सकता है।

परियोजना 1208 एकड़ में विकसित होगी

ग्रेटर नोएडा के पास दादरी में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी हब और लॉजिस्टिक हब पर केंद्र सरकार की मुहर लग गई है।

इस हब में कई तरह की गतिविधियां होंगी। यहां पर अंतरराज्यीय बस अड्डा, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो से कनेक्टिविटी, रेलमार्ग से जोड़ने के साथ-साथ यहां पर व्यवसायिक गतिविधियां भी की जाएंगी। यहां पर रिटेल मार्किट भी बनाया जाएगा। इसके अलावा होटल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

रेलवे ने माल बुकिंग पोर्टल शुरू किया

रेलवे ने माल बुकिंग के लिए एक समर्पित पोर्टल की शुरुआत की जिस पर कारोबारी घर बैठे अपने बुकिंग करा सकेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में हाफ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लांच किया।

उन्होंने कहा कि भारतीय रेल ने कोविड-19 महामारी दौर में भी अनिवार्य वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किया और आर्थिक गतिविधियों कोरूकनर नहीं दिया। अप्रैल-मई में परिवहन बेहद काम रहने के बावजूद चालू वित्त वर्ष में माल ढुलाई में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

श्री पीयूष गोयल जी ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में 01 अप्रैल 2019 से 04 जनवरी 2020 तक जितनी माल ढुलाई हुई थी, मौजूदा वर्ष की समान अवधि में यानी 04 जनवरी 2021 तक उसका 98 प्रतिशत का आंकड़ा हासिल हो चुका है। उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में माल ढुलाई में वृद्धि दर्ज की जाएगी।

नौचंदी मेले का खर्च सरकार उठाएगी

राज्य सरकार क्षेत्रीय मेलो को बेहतर ढंग से कराने और उसमे आने वालो को अच्छी सुविधाएं देने के लिए मेलों का प्रांतीयकरण कराने जा रही है। चित्रकूट के सोमवती अमावस्या मेला, भाद्रपद की अमावस्या यानी भदई मेला और कार्तिक मास के पांच दिवसीय दीपावली मेला को प्रदेश स्तरीय दर्जा दिया जाएगा। इसी के साथ मेरठ के नौचंदी मेले का भी प्रांतीयकरण कराया जाएगा।

नगर विकास विभाग इन मेलो को प्रांतीयकरण कराने के लिए जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने जा रहा है। इसके साथ ही हरदोई के बेरिया घाट मेला, गाज़ियाबाद के महाकोथिक मेला और बलिया के ददरी मेला को प्रांतीय दर्जा देने की तैयारी है।

चित्रकूट, मेरठ और हरदोई के क्षेत्रीय मेलो को प्रांतीयकरण करने के लिए कैबिनेट मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा चूका है। गाज़ियाबाद के क्षेत्रीय मेले के लिए डीएम से प्रस्ताव मांगा गया है। इसी तरह

बलिया के डीएम से भी प्रस्ताव मांगा गया है। इन क्षेत्रीय मेलो को प्रांतीयकरण किये जाने के बाद इनके आयोजन पर होने वाला खर्च नगर विकास विभाग उठाएगा। संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को मेला आयोजन पर आने वाले खर्च के संबंध में पूरा प्रस्ताव उपलब्ध कराना होगा। इसके आधार पर नगर विकास पैसा उपलब्ध कराएगा।

राज्य सरकार इसके पहले भी कई मेलो का प्रांतीयकरण कर चुकी है। राज्य सरकार का मानना है कि क्षेत्रीय मेलो का अपना महत्व होता है और इसमें आसपास के जिलों के काफी संख्या में लोग आते है। इसलिए इन मेलो के लिए बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे आने वालो को किसी तरह की असुविधा न होने पाए।

हमारे राजनीतिक कर्तव्य 'श्री गोपाल अग्रवाल जी की कलम से'

लेख प्रतिष्ठित समाचार पत्र के आंकडों के आधार पर लिखा गया है इसलिए प्रमाणिकता स्वाभाविक है। खाका खीचने तथा अनुमानों को मोटे तौर से समझने के लिए सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या में ले रहा हूँ।

उदाहरण के लिए अब मेरठ की आबादी 43 लाख है जिसमें महिलाएं पुरुषो से साढे ग्यारह प्रतिशत कम हैं। इस अंतर को स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण मात्र से सही नहीं किया जा सकता। इसको पढाई से जोडने के बजाय सीधे गरीबी से जोडकर देखे। गरीब मजदूरों के लडके-लडकी अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। केवल लड़कियां पढ़ा लेने से स्त्री पुरुष अनुपात नही बढ़ता, लडके भी शिक्षित व ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उनके मन में 'पुत्र हो तो अच्छा' का भाव शिथिल होगा।

बहुत न चाहते हुए भी योजनाओ में राजनीतिक जिक्र समझने के लिए करना पड़ जाता है। वैसे तो शिक्षा व राजनीति दोनों परिवर्तन की दो धुरियाँ है जो एक दूसरे के साथ कपलिंग में हैं। यह इसलिए भी लिखना पड़ जाता है कि साधारण मन बार बार 'राजनीति न करो' की रट लगता है जैसे उसके मन में 'राजनीति कोई पाप है', क्योकि समझाया गया है 'दलो में एक दूसरे की

निन्दा राजनीति है'। यह मिथ्या है। राजनीति का अर्थ व्यवस्था में सुधार व विकास से है। यदि शादी को पाप घोषित कर दिया जाय तो नई संतानें कहां से आयेंगी? इसी प्रकार शिक्षा व राजनीति से विकास उत्पन होता है या दूसरे शब्दों में विकास को दिशा मिलती है तथा उत्पन हो चुकी बुराईयों को दूर किया जाता है। इसकी प्रतिपूर्ति नागरिक के सम्मानपूर्वक जीवनयापन तथा प्रतिस्पर्धा में अवसरों की समानता से होती है।

अंक लिखना या अक्षर बनाना शिक्षा नहीं है। यह वह खाद है जिसके प्रयोग से ज्ञान रुपी पुष्प खिलते हैं। इसलिए प्रारम्भिक शिक्षा के बाद ज्ञान-पथ पर मोड़ना होता है जिससे व्यक्ति समाजिक ज्ञान व रोजगार के प्रति कौशलता प्राप्त कर सके। यह समाजिक ज्ञान ही व्यक्ति को लड़का-लड़की का भेद भुलाने की प्रेरणा देगा। **जिस दिन 'शर्तिया लड़का पैदा होगा' की दुकानें बंद हो जायेंगी, समझ लो सम्पूर्ण समाज समझदार हो गया,** जिसमे शिक्षा से वंचित रह गये गरीब मजदूरो के बच्चे भी होंगे। बात को और अधिक समझने के लिए एक प्रसिद्ध राजनीतिक लाइन डाल रहा हूँ। आप कथन के समर्थन या विरोधी या उदासीन कुछ भी हो सकते हैं। मैं लाइन को किसी भाव को प्रोमोट करने के लिए नही डाल रहा, बस उस डर को दिखा रहा जो समस्या को मोड देता है। जब मार्क्स ने कहा 'दुनिया के मजदूरो एक हो' तो सारी दुनिया की सरकारें डर कर अपनी सीमाओ के तारों को कसने लगी। गरीबी के दूर करने के बजाय सत्ता को संभालने में क्रूरता का प्रदर्शन करने लगी। लिंगानुपात गरीबी की असुरक्षा का भाव है। खाते पीते घरो में लड़का पैदा होने की चाहत इसी असुरक्षा के कारण है कि लड़की हो गयी तो दहेज जुटाना पड़ेगा। इसी के सुधार कार्यक्रम में महार्षि दयानन्द बिना दहेज तथा बिना जाति बंधन के विवाह को प्रोहोत्साहन देते थे। इसकी निरन्तरता बनी रहती तो अच्छा था।

दूसरा बिंदुः- शहरी ग्रामीण अनुपात

पेड़ अगर जड़ छोड़ दे तो तने पर कितना ही पानी डालो हरा-भरा नही रह सकता। भारतीय समाज की जड़ गॉवों में है, क्योकि कुदरत ने यहॉ खेती योग्य दो तिहाई क्षेत्रफल दिया है। रेगिस्तानी मुल्कों में या पश्चिम में खेती योग्य जमीन की मात्रा तुलनात्मक कम है इसलिए भारत में ग्रामीण आबादी अधिक होनी चाहिए। जिस समय भारत स्वतन्त्र हुआ तो पच्चपन

प्रतिशत ग्रामिण आबादी थी, अब अड़तालिस है। खेती 'लाभ या सम्पन्नता का उघम नही है' मान कर युवा शहर की तरफ भागे तो ठीक नहीं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने या वैज्ञानिक अथवा अन्य क्षेत्रों में विशिष्टता के लिए आगे बढ़े तो अच्छा है। खेती में समूचा परिवार न तो समा सकता है न जीविका चलेगी इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रो में ही दूध के प्लान्ट, फूड प्रोसेसिंग, कुटीर उघोगो को बढावा देना चाहिए, अन्यथा पलायन शहर पर दवाब बनायेगा। गरीबी से त्रस्त होकर युवा शहर में मजदूरी करने या गार्ड की नौकरी करने जाते हैं तो स्थानीय योजनओ में फेरबदल हो, गांव में प्लाट काट कर शहरी को दिया जाता है। इसलिए पहले गांव निवासियों को वहॉ आरक्षण मिले। यदि दो दुधारु पशु रखने पर बिजली मंहगी मिलेगी तो युवा गांव छोड़ कर अवश्य भागेगा। खेती के आधुनिक साधनों, गांव की सड़को, गांव के उघोगों को हम कितना विकसित कर सकते है इस पर योजना समिति की बैठक हो। माध्यमिक व कौशल विकास स्कूल गांव में अधिकतम उपलब्धता के साथ रहने चाहिए। बेरोजगारी में राष्ट के शिखर पर मेरठ की स्थित कलंकित करने वाली है। छोटे व ग्रामीण उघोग रोजगार सृजन के अवसर निकाल सकते हैं।

तीसरा बिंदुः- विभिन्न संप्रदाय

जो वोट बैक है वे तुलनात्मक आगे कम बढ पाये, सौ में एक बहुत आगे बढ जाना विकास नहीं है। निन्यान्वे सक्षमता की रेखा पर है तो विकास है। जैन आधा प्रतिशत तथा सिख पोन प्रतिशत मेरठ में वोट बैंक नही हैं फिर भी वे अनुपात में सम्पन्न हैं। ऐसा सनातनियों व मुस्लिमों के साथ क्यों नहीं हो पाता? मेरठ बेरोजगारी में शीर्ष पर है तो निश्चय ही योजनाओं की कमी है। किसी भी स्थान पर आय स्तर बढाना हो तो सांस्कृतिक व साहित्यक गतिविधियां बढा दीजिए। यह गतिविधियां वैमनस्यता को दूर करने में सार्थक होती हैं। मेरठ में विशेष प्राकृतिक संसाधन प्रचुर न होने पर कक्षक उघोगो Axillary units को प्रोहोत्साहित किया जाना चाहिए यानी बुटिक, शिक्षा हब, खैरात मशीन आदि।

यहॉ विभिन्न संप्रदायों का अनुपात कम या बढाना उद्देश्य नहीं है, केवल तुलनात्मक अध्यन के लिए है कि अति अल्पसंख्य प्रगतिशीला है तो बहुसंख्यक या अन्य पीछे क्यो रहे? उसके

लिए प्रथम मन में भेद दूर करें, दूसरे सम्पनन्ता, शिक्षा व साहित्य हमें घेरे से बाहर निकाल ऊँची उड़ान को प्रेरित करता है। साधन व योजनाऐ शासन या स्थानीय निकायो की रहती हैं।

चौथा बिंदुः- ट्रैफिक जाम

ट्रैफिक जाम का कारण वाहनो की संख्या न होकर अपर्याप्त एव यथोस्थान पार्किंग का न होना है। यदि पार्किंग सड़को या गलियों में होगी तो ट्रैफिक को हवा मे ही चलाना पड़ेगा। बाजारों में दोनो साइड वाहन खड़े हों तो सड़के गली बन जायेगी, गली में वाहन खड़ा होगा तो सहायक मार्गो से गुजरने वाला ट्रैफिक अवरुद्ध हो जायेगा। कचहरी पर पार्किंग नही होगी तो चौराह जाम रहेगा। यातायात का रेखाचित्र, ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ आर्किटेक्ट, वकील, डॉक्टर और व्यापारियों को बैठा कर योजना बनानी होगी। मुझे याद है यहॉ आर्किटेक्ट देवेन्द्र मोहन ने प्लान दिया था कि बेगम पुल जैसे भारी चौराहों को विस्तार देकर ट्रैफिक लाइट व्यवस्था समाप्त कर दी जाय, नालों का उपयोग पार्किंग व सौन्दर्यकरण में हो, बाराती भी सोचें कि सड़को की जगह विवाह मंडप मे नाचना सुविधाजनक रहेगा। जहॉ जरुरत हो 'वनवे' किया जाय परन्तु वनवे का पालन कराना पुलिस की जगह नागरिकों का कर्तव्य हो।

पांचवा बिंदुः- सफाई व्यवस्था

यह स्वातशासी संस्थओं के लिए स्वत संज्ञान का विषय है। अक्सर कलक्ट्रेट की बैठको में विभिन्न स्थानों पर सफाई कराने के विषय कार्य सूची का भाग होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कोई कहे पुलिस अपराधियों को क्यों नही पकड़ती? यदि उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जाय तो सफाई नियमित होने लगेगी। एक बार एक जिलाधिकारी बच्चा पार्क नाले के पास खड़े होकर नाला देखने लगे। संदेश बिजली की गति से गया। कई महीने तक नाला साफ रहा। यदि जनप्रतिनिधि चौकस रहे तो भी सफाई में कोताही नही हो पायेगी। मौहल्लों में सफाई के लिए उत्तरदायी क्षेत्रिय कर्मचारियों अधिकारियों के नाम मोबाइल नम्बर तीन चार प्रमुख स्थानों पर दीवार पर लिखे हों तो भी सफाई में नागरिक गति ला देगें।

WUPCL

छठा बिंदुः- नगर विकास के लिए आवश्यक टूल शहर को संपूर्णता प्रदान करने वाले अंग पार्क व ओडोटोरियम हैं जहाॅ नागरिक खुलकर चर्चायें कर सकें। गुण अवगुण दोनो ही प्रेसीपिटेट हो जायेगें।

सांतवा बिंदुः- स्वास्थय

वैसे तो स्वास्थ्य प्रथम प्राथमिकता है परन्तु चर्चा किसी भी पायदान पर हो सकती है। स्वास्थय की सर्वप्रथम प्राथमिकता मौसमी बीमारियों का एक माह पहले निरोधी बंदोवस्त है। मच्छर संक्रमित मलेरिया-डेंगू के सीजन से पूर्व फोगिग, सरकारी चिकित्साल्यों में मरीजों के लिए समुचित बैड व दवाईयों का आरक्षण मृत्युदर को कम करेगा। हमारा प्रयत्न यह रहे कि नागरिक इन बीमारियों के लिए प्राइवेट चिकित्सालयों पर जाने को सरकारी अव्यवस्था के कारण बाध्य न हों।

आठवां बिंदुः- बरसाती पानी का भराव व भू जलस्तर

यह दोनों बिंदु आपस में जुडें हुए है एक ओर नालियां उफनती है दूसरी ओर जल स्तर गिर रहा है, कारण निगम व प्राधिकरण निजी वाटर हार्वेस्टिंग पर ही केन्द्रित है। शहर के निचले स्तर के मैदानी भाग में विशेष फिल्टरों के साथ वाटर प्लांट लगें तथा सीवर के मुहानो पर छोटे फिल्टर लगे हों तो पानी लाइन चलती रहेगी तथा भू-जल स्तर गिरने से बचा रहेगा।

नवां बिंदुः- रेल हवाई जहाज व स्थाई प्रदर्शनी स्थल

लखनऊ के लिए एक ओर नियमित रेल, बोंईग उतरने लायक हवाई अड्डा व उत्पाद बाजार के लिए स्थाई नुमायस भवन राजनीतिक वायदों के मुद्दे बन कर रह गये। मेरठ के विस्तार के लिए ये तीन अब अनिवार्य हैं।

हवाई अड्डे से मेरठ घरेलू विश्व व्यापार से जुडेगा। जब तक मिनी सचिवालय मेरठ नही आता राजनीतिक गुथ्थीयां (दल वाली राजनीति नहीं वरन मुद्दे की राजनीति) लखनऊ से ही

सुलझेगी, इसलिए एक समयवद्ध सुरक्षित रेल चाहिए तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को डिस्प्ले के लिए एक एक्सपो मॉल चाहिए।

पारिवारिक अपनत्व के साथ सभी नागरिकों एवं प्रत्येक दल के कार्यकलाओं से अपील है कि वे विकास को बढावा देने, शिक्षा के लिए सभी आरीक्षित रह गये बंधुओं को समावेशी बनाने तथा बेरोजगारी को मिटाने के लिए इस अभियान से जुड़े।

पीने के लिए जल व हवा तथा रहने के लिए साफ मार्ग तथा जनपद के सभी भागों में रात्री पथ प्रकाश नागरिक का अधिकार है।

WUPCCI